

27/14/2012-एस0आर0एस0

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 26 जून 2013 ।

सेवा मे,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।


विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुसार चिकित्सकीय / वास्तविक व्यथा से संबन्धित आवेदन का निपटान ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध मे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे राज्य पुनरावंटन हेतु श्री रमेश चन्द्र यादव, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज, चमतोला, अल्मोड़ा से प्राप्त चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा से संबन्धित आवेदन पर विचार किया गया । राज्य चिकित्सा परिषद की व्याख्या के अनुसार उनके पुत्र सीजर्स डिसऑर्डर रोग से ग्रसित हैं, जो चिकित्सकीय / वास्तविक व्यथा से संबन्धित दिशानिदेशों से आच्छादित नहीं हैं । उपस्थित चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह पर विचार करने के उपरांत समिति द्वारा श्री यादव का आवेदन निरस्त करते हुए उन्हें उत्तराखंड राज्य मे बनाए रखे जाने कि संस्तुति की गयी ।

2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा श्री रमेश चन्द्र यादव, सहायक अध्यापक का अंतिम आवंटन उत्तराखंड के लिए बना रहेगा।

संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाये ।



भवदीय,
स. रंगधर नायक
(सारंगधर नायक)

आवर सचिव, भारत सरकार

- (1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, 30 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
- (2) श्रीमति हेमलता ढौंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।